

/निगरानी / 2015-16

प्रस्तुति दिनांक 13 / 10 / 2016

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल के समक्ष

निगा-3662-PBE-16

भगवान पिता हीरालाल
निवासी- ग्राम अर्जुन बडोदा शिप्रा टप्पा,
सांवेर जिला-इन्दौर, (म0प्र0)

विरुद्ध

बद्रीलाल पिता हीरालाल
निवासी- बिसाखेडी, सांवेर जिला-इन्दौर, (म0प्र0)

अम्बाराम पिता श्री केशवराम

निवासी- ग्राम बरोदा अर्जुन तह. शिप्रा टप्पा सांवेर जिला इन्दौर
श्रीमती संजना बाई पति रामचंद्र (पिता अम्बाराम)


निवासी- ग्राम खम्बलाला (बनेडिया) तह. देपालपुर जिला इन्दौर
श्रीमती शान्ताबाई पति सुरेश (पिता अम्बाराम)

निवासी- मुसाखेडी, जिला इन्दौर

- अपीलार्थी / निगरानीकर्त्ता

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री वीरल गोमे
पार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13.10.2016
को प्रस्तुत।

749
13.10.2016


अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

- प्रत्यार्थी / प्रत्यार्थी

श्रीमान के अधिनिस्थ अनुभाग अधिकारी महोदय, सांवेर, जिला इन्दौर न्यायालय के द्वारा अपील क्र. 21/अपील 14-15 में पारित अन्तरिम आदेश में दिनांक 27-7-2016 को विधि विरुद्ध आदेश करने की त्रुटि के कारण सदर आलोच्य आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करना भाग हुआ है।



R. 3662-ABR/16 उत्तर

19.10.2016

आवेदक की ओर से श्री ^{पुस्तकार}
बी.एल. गोयल अभिभाषक उपलब्ध।
ग्राह्यता पर लक्ष्य होने वाले अनुसंधान
आधिकारी के आदेश दिनांक
27.7.2016 की सत्य प्रामाणिक

19.10.16

~~श्री
बी.एल.
19/10/16~~

का अतिक्रम किया गया। अनुसंधान
आधिकारी द्वारा सकारण बोलता
हुआ आदेश पालि नहीं किया
गया है। अतः उनका आदेश
निरस्त किया जाकर सकारण
आदेश पालि करने हेतु प्रकाश
प्रत्यावर्तित किया जाता है।

~~श्री
बी.एल.
19/10/16~~

अक्षय

अध्यक्ष